[2018] 14 एस. सी. आर 1107

लाजपत और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 1569/2018)

06 दिसंबर, 2018

[न्यायमूर्ति, अभय मनोहर सप्रे और न्यायमूर्ति, इंदु मल्होत्रा]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482–दंड संहिता के तहत आरोपों को रद्द करने के लिए आवेदन–एकल न्यायाधीश द्वारा इस न्यायालय द्वारा दायर मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कानून के सिद्धांतों का हवाला देते हुए खारिज करना।482 लेकिन मामले के तथ्यों का उल्लेख किए बिना–अपील पर कहा गया:एकल न्यायाधीश को पहले मामले को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के आलोक में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी और फिर अपने निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए था कि किस आधार और कारणों से, किसी भी हस्तक्षेप के लिए मामला बनाया जाता है या नहीं–उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन के ऐसे निपटान के साथ सहमति नहीं दी जा सकती है–आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेजे गए मामले।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

ठहरायाएकल न्यायाधीश ने केवल धारा **482** के तहत दायर मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों का हवाला दिया है, लेकिन तथ्यात्मक विवाद की सराहना करने की दृष्टि से मामले के तथ्यों का उल्लेख करने में भी विफल रहा है, जैसे कि, अपीलार्थीगण के खिलाफ दायर शिकायत/प्राथमिकी की प्रकृति क्या है, जिन आरोपों पर इसे दायर किया गया है, जिसने इसे दायर किया है, जिन आधारों पर अपीलार्थीगण द्वारा शिकायत/प्राथमिकी/कार्यवाही को चुनौती दी गई है, संहिता की धारा **482** के तहत ऐसे आधार क्यों नहीं बनाए गए हैं आदि। इसलिए, यह न्यायालय इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को पढ़ने के अलावा मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को जानने से बहुत कम प्रभावित है।

1. 2 एकल न्यायाधीश को पहले मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था ताकि मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझा जा सके।

मामला और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के आलोक में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच की और फिर अपने निष्कर्ष को दर्ज किया कि किस आधार और कारणों पर,

किसी भी हस्तक्षेप के लिए मामला बनाया जाता है या नहीं।मामले के निपटारे के लिए किए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए हर क्रम में यह कम से कम आवश्यक है।यह उच्च न्यायालय को इस प्रश्न की जांच करने में सक्षम बनाता है कि क्या नीचे दिए गए न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क तथ्यात्मक और कानूनी रूप से टिकाऊ है।उक्त अभ्यास उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय नहीं किया गया था और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन के इस तरह के निपटारे से सहमति नहीं हो सकती है और विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार गुण–दोष के आधार पर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के लिए उच्च न्यायालय को भेज दिया जाता है।

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2018 की आपराधिक अपील संख्या 1569।

आपराधिक विविध मामले में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के 10.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से।2017 का आवेदन संख्या 35।सिद्धार्थ मित्तल, अपीलार्थीगण के अधिवक्ता।

मनोज मिश्रा, अंकित पांडे, शशांक शेखर सिंह अधिवक्ता।प्रत्यर्थीगणओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय मनोहर सप्रे, जे।

1.अनुमति प्रदान की गई।

2. यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (इसके बाद "संहिता"के रूप में संदर्भित) की धारा 482 के तहत दायर 2017 के एक आवेदन में इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण द्वारा दायर आवेदन को खारिज कर दिया था।

3. इस अपील में शामिल संक्षिप्त विवाद की सराहना करने के लिए कुछ तथ्यों का उल्लेख करने की आवश्यकता है।

4. विवादित आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने संहिता की धारा 482 के तहत दायर अपीलकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें ए में दिनांकित आरोप पत्र संख्या 1 को रद्द करने की चुनौती दी गई थी।

भारतीय दंड संहिता, 1860 (इसके बाद "आई. पी. सी". के रूप में संदर्भित) की धारा 420,406 और 504 के तहत 2015 का मामला अपराध पी. एस. खैर, 2016 के मामले में अलीगढ़ जिला (राज्य बनाम लाजपत और अन्य) न्यायिक मजिस्ट्रेट, खैर, अलीगढ़ के न्यायालय में लंबित है।

5. इस अपील में विचार के लिए जो छोटा सवाल उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय संहिता की धारा 482 के तहत दायर अपीलार्थियों के आवेदन को खारिज करने में उचित था।

6. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ मित्तल को सुना।विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज मिश्रा को राज्य की ओर से नोटिस लेने के लिए कहा गया था।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन पर, हम विवादित आदेश को दरकिनार करने और अपीलार्थियों के आवेदन पर निर्णय लेने के लिए मामले को उच्च न्यायालय में भेजने के लिए इच्छुक हैं, जिसमें से यह अपील उत्पन्न होती है, तथा दूसरे पक्ष को नोटिस देने के बाद कानून के अनुसार गुण–दोष पर नए सिरे से सुनवाई हो।

8. आक्षेपित आदेश के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि एकल न्यायाधीश ने केवल पैरा 2 से समापन पैरा तक संहिता की धारा 482 के तहत दायर मामलों में हस्तक्षेप करने की उच्च न्यायालय की शक्तियों से संबंधित कई निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों का हवाला दिया है, लेकिन तथ्यात्मक विवाद की सराहना करने की दृष्टि से मामले के तथ्यों का उल्लेख करने में भी विफल रहा है, जैसे कि, अपीलार्थीगण के खिलाफ दायर शिकायत/प्राथमिकी की प्रकृति क्या है, जिन आरोपों पर इसे दायर किया गया है, जिसने इसे दायर किया है, जिन आधारों पर अपीलार्थीगण द्वारा शिकायत/प्राथमिकी/कार्यवाही को चुनौती दी गई है, संहिता की धारा 482 के तहत ऐसे आधार क्यों नहीं बनाए गए हैं, आदि।

9. इसलिए, हम इस न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों को पढ़ने के अलावा मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को जानने से बहुत कम वंचित हैं।

10. हमारे विचार में, एकल न्यायाधीश को पहले मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को समझने की दृष्टि से मामले के संक्षिप्त तथ्यों को निर्धारित करना चाहिए था और फिर इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के सिद्धांतों के आलोक में कार्यवाही को दी गई चुनौती की जांच करनी चाहिए थी और फिर अपने निष्कर्ष को दर्ज करना चाहिए कि किस आधार और कारणों से, किसी भी हस्तक्षेप के लिए मामला बनाया जाता है या नहीं।

11. हमारे विचार में, मामले के निपटारे के लिए किए गए निष्कर्ष का समर्थन करने के लिए हर क्रम में यह कम से कम आवश्यक है। यह उच्च न्यायालय को यह जांच करने मे की अधीनस्त न्यायालय द्वारा दिया गया तर्क तथ्यात्मक और कानूनी रूप से मान्य होगा या नही, ।

12. हम पाते हैं कि उपरोक्त अभ्यास उच्च न्यायालय द्वारा विवादित आदेश पारित करते समय नहीं किया गया था और इसलिए हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

13. इसलिए हम स्वयं को उच्च न्यायालय द्वारा आवेदन के इस तरह के निपटारे के साथ सहमत होने में असमर्थ पाते हैं और प्रत्यार्थी संख्या 1 और 2 को नोटिस जारी करने के बाद उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार योग्यता के आधार पर आवेदन पर नए सिरे से निर्णय लेने के अनुरोध के साथ विवादित आदेश को अपास्त करने और मामले को उच्च न्यायालय (एकल न्यायाधीश) को भेजने के लिए आदेश करते हैं।

14. हमारे तर्क के आलोक में मामले को रिमांड पर लेने के लिए एक राय बनाने के बाद, हम मामले के गुण–दोष में जाना उचित नहीं मानते हैं।

15. पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अपील सफल होती है और तदनुसार इसकी अनुमति दी जाती है।विवादित आदेश को अलग रखा जाता है।प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने के बाद इस आदेश में

हमारी किसी भी टिप्पणी से अप्रभावित गुण–दोष पर निर्णय के लिए मामले को उच्च न्यायालय को भेज दिया गया है।

अपील की अनुमति दी गई।